Approved by Ex. UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
I2OR Impact Factor : 7.465
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol. XIII **No. II** **April-June 2023**

Editor
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Dr. Dinesh Kumar
Dr. Romee Maurya

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) | I2OR | Scientific Journal Impact Factor

Approved by Ex. UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF
I2OR Impact Factor : 7.465
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol.XIII | No.II | APRIL- JUNE 2023

Editor in Chief
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Dr. Dinesh Kumar
Dr. Romee Maurya

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

Research Discourse
An International Peerreviewed Refereed Research Journal
Vol. XIII, No. II, APRIL- JUNE 2023, (ISSN 2277-2014)

INDEX

भक्तिकालीन सूरदास की कविता में लोक जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1-3
डॉ0 अनामिका सिंह
वैश्विक राजनीति में बदलाव एवं भारत 4-5
आशुतोष सिंह
पर्यावरण एवं सतत् विकास के लिए जीवन शैली पर जी20 उच्च स्तरीय सिद्धान्त 6-8
डॉ0 राजेश कुमार सिंह
भारतीय संदर्भ में निर्धनता की समस्या का विश्लेषण 9-11
डॉ0 राणा प्रताप गौतम
हिन्दू विवाह में सप्तपदी का सिद्धान्त : एक विधिशास्त्रीय विश्लेषण 12-14
डॉ0 संदीप कुमार वर्मा
हिन्दू विधि के अन्तर्गत महिलाओं के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार 15-17
हरविन्द शाक्या एवं प्रो0 (डॉ0) एल.सी. साहू
आधुनिकता : अर्थ व अवधारणा 18-19
डॉ0 अमित कुमार
चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) का भारत पर प्रभाव 20-22
शिवा नन्द यादव
जयशंकर प्रसाद के साहित्य में नारी जागरण का स्वरूप 23-24
निशा यादव एवं डॉ0 रामकरन मिश्र
रघुवीर सहाय की कविताओं में नारी दृष्टि और दृष्टिकोण 25-27
किरन यादव एवं डॉ0 (श्रीमती) सुमन
स्वत्व का पदार्थान्तरत्व : पदार्थतत्त्वनिरूपण के परिप्रेक्ष्य में 28-30
प्रो0 अनीता राजपाल
वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में बौद्ध शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता 31-32
विकाश कुमार निराला
अब्दुल बिस्मिल्लाह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अनुशीलन 33-36
मुलायम यादव एवं प्रो0 गीता सिंह
भारत–ईरान संबंध एक विवेचनात्मक अध्ययन 37-40
आरती मोदनवाल एवं डॉ0 अनुपमा सिंह
संचार माध्यम का किशोरों के आक्रामक व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन 41-43
दीप्ति कुंज एवं डॉ0 सरोज सिंह
समता और समरसता का अध्ययन 44-46
गुरूदास प्रजापति एवं डॉ0 अंशुमान सिंह
माध्यमिक विद्यार्थियों में व्यावसायिक आकांक्षा, शैक्षिक उपलब्धि, संवेग एवं रूचियों का विवेचनात्मक अध्ययन 47-49
जनार्दन यादव एवं डॉ0 नीता तिवारी
ए.पी.जे. अब्दुलकलाम का शैक्षिक चिन्तन : एक अध्ययन 50-52
कैप्टन कामेश सिंह
बदलते परिवेश में सोशल मीडिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन 53-56
रश्मि सिंह एवं डॉ0 सरोज सिंह
आदिवासी साहित्य के अवधारणात्मक स्वरूप का अध्ययन 57-59
प्रीती
शताब्दी का संदर्भ और पुरस्कृत कहानियों का अनुशीलन 60-62
डॉ0 राजकुमार व्यास
सूरदास का परिचय एवं उनके काव्य में वर्णित संस्कार–संस्कृति : एक अध्ययन (सूरसागर के विशेष संदर्भ में) 63-65
बृजेश कुमार यादव
महाप्राण निराला की साहित्य साधना एवं राम की शक्ति पूजा : एक विवेचनात्मक अध्ययन 66-68
डॉ0 सुनील कुमार
अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन 69-71
मनोज कुमार वर्मा एवं डॉ0 रत्नजय कुमार सिंह
शारीरिक स्वास्थ्य–दक्षता एवं उसके घटकों का अध्ययन 72-74
प्रमोद कुमार सिंह एवं डॉ0 कुन्दन सिंह
पर्यावरण संरक्षण : नीतियाँ एवं कानून – एक अध्ययन 75-77
ऋतु शर्मा

शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं उसके विविध आयाम : एक अध्ययन 78-80
डॉ0 विजय प्रताप श्रीवास्तव
अपभ्रंश कवि स्वयंभू का व्यक्तित्व एवं कृतित्व : एक अध्ययन 81-83
जूली पाठक एवं डॉ0 वीरेंद्र कुमार मीणा
मानवतावादी होने का मतलब है निराला 84-86
डॉ0 विजय कुमार वर्मा
1857 की क्रान्ति के नायक : धनसिंह कोतवाल 87-88
डॉ0 विजय सिंह मावई
सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम 89-91
अनीता सोनी
जयप्रकाश कर्दम कृत 'छप्पर' उपन्यास में अभिव्यक्त दलित चेतना 92-94
डॉ0 अमित कुमार गुप्ता
सुमित्रानन्दन पन्त कृत 'हार' उपन्यास एक अध्ययन 95-97
डॉ0 रामप्रवेश सिंह
प्राचीन भारत में दास प्रथा 98-100
डॉ0 महेंद्र प्रकाश द्विवेदी
वैश्वीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ 101-102
बलराज कुमार एवं डॉ0 राजकुमार मिश्र
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्यायें : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 103-105
प्रो0(डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी एवं अजय कुमार विक्रम
त्रिलोचन की सामाजिक संवेदना 106-107
रामजीलाल मीणा

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Peer-reviewed Refereed Research Journal, Pub. by : SARDI, Vns, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, I2OR Impact Factor : 7.465, Vol . XIII, No. II, APRIL - JUNE 2023, Page No. : 103-105

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्यायें : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रो0(डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी*
*समाजशास्त्र विभाग, पी0के0 विश्वविद्यालय, शिवकुटी, म0प्र0
अजय कुमार विक्रम**
**शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, पी0के0 विश्वविद्यालय, शिवकुटी, म0प्र0

सारांश : विश्व में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के विकास के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति चिन्ता बढ़ी है। भारत में गुलामी की अवधि में सामाजिक स्थितियाँ क्रमशः बिगड़ती गयी और परतन्त्रता की मानसिकता ने **राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त** की पंक्तियों को इस प्रकार चरितार्थ किया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ विचारे, आज मिलकर ये समस्यांए सभी" आजादी के बाद 73 वर्षो की विकास यात्रा में देश में महिलायें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन का अंश नगण्य ही हैं। संविधान में महिलाओं को पुरूषों के ही समान ही अधिकार दिये हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थितियों को रूपान्तरित करने और सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिए कई कल्याणकारी मान्यताएं दी हैं। लेकिन उनकी विकास की स्थिति और दशा आज भी चिन्तनीय है।

मुख्य शब्द : भारतीय समाज, सामाजिक मान्यताएँ, मूल्य, सामाजिक स्थिति, शिक्षा आदि।

प्रस्तावना : किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि सैकड़ों वर्षो की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी की शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु, और भोजन है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज में स्त्रियां ही उपेक्षित हो रही है। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है। इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही है। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिये जाने के बाद इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गो में शामिल हैं। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों से भी संभव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा एवं तिरस्कार का शिकार होती है वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। समाज में महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी निर्योग्यताओं लाद दी गई है जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नही मिलता। ये निर्योग्यताओं उनके लिए बहुत बड़ा चुनौतियाँ एवं समस्याएँ बनकर उभरी है। इन निर्योग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योंग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलाएं न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थी और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिन्दगी घर की चहारदीवारी के अन्दर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़–लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए मूलरूप से ही पुरानी सामाजिक परम्परायें, मूल्य तथा रीति–रिवाज जिम्मेदार थे जो इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948)के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य है, जो निम्न है– "शिक्षित स्त्री के बिना पुरूष शिक्षित हो ही नही सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा स्वयंमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।"

सन्1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए **पं0 जवाहर लाल नेहरू** ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। उपरोक्त विवेचन से महिलायें के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुए भी उपेक्षित है इसलिए महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई है। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति शोचनीय ही है। स्वामी विवेकानन्द के कथन के अनुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनते। इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच–नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं। अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखें और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं, यदि माता अपने बच्चों में धर्म–भेद या जाति भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगें। इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास

पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जायेगें जिन्होंने अपने विद्वता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति भी उनकी विद्या थी, लेकिन बाद के कालों में उनसे यह शक्ति छीनी जाने लगी उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनति का कारण बना। देखा जाए तो वो आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई हैं। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा है, लेकिन अभी भी पूर्णरूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारम्भ हुए, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया। बाल विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई। पुरूष की संकीर्ण मानसिकता, स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिसके कारण वह पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, नियोग–प्रथा आदि अनके बुराइयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई क्योंकि उसका हथियार "शिक्षा" उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जो कि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है, वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है।

साहित्य अवलोकन : अनेक समाजशास्त्रियों जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का अनुनवात्मक अध्ययन किया है तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता तथा पुरूषों के समान शैक्षणिक व सामाजिक अधिकार, परिवार में निर्णय निर्धारक भूमिका तथा प्रदत्त परिस्थिति को नकारकर अर्जित परिस्थिति द्वारा अपनी क्षमता के नये आयामों को उद्घाटित करना के संदर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ शोध आलेख से सम्बन्धित विभिन्न समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों के साहित्य का अवलोकन किया गया है जिसमें इनके अध्ययन के निष्कर्षो का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मीनाक्षी मुखर्जी(1988) का मत है कि पुरूषों से स्वतंत्र स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें स्त्रियों के साथ अनादर रूप में व्यवहार किया जाता है।

मार्ग्रेट कारमैक (1779) ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियां कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं लेकिन वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता–पिता तय करें। वे अपनी नव स्वतन्त्रता का भोग भी करना चाहती है लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाये रखना चाहती थी।

गोविन्द केलकर (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन–भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी करनी पड़ती है। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भोजन न परोसना या कभी–कभी परिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिए उनकी पिटाई भी होती है। कॉपर न कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, प्रभुता, अधिकार, सम्पन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है। वस्तुतः महिलाओं की परिस्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से इनके पक्ष में कानून निर्मित किये गये है किन्तु भारतवर्ष में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय महिलाओं का एक प्रमुख एवं विचारणीय भाग कानून के प्रावधान से अनभिज्ञ रह गया है। फिर भी भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च किया है।

मिश्र (1981) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक सामाजिक सांस्कृतिक बाधायें समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभवन नहीं है। महिलाओं के प्रति पुरूषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है। आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन है जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओ को घर के बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलायें पुरूष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त, ये और कुछ नहीं है, और पुरूषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई है। इस दृष्टि में परिवर्तन अपरिहार्य है।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरित मानस के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने भक्ति, साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्भुत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकती है। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती हैं तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती है।

भारतीय महिलाओं की भूमिका के विभिन्न स्वरूप : विवाह मूलक परिवार में स्त्री की भिन्न–भिन्न परिस्थितियां होती हैं। उदाहरण के लिए बेटी, पत्नी, बहु, माँ, इत्यादि। इन परिस्थितियों से सम्बन्धित भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे समर्पण की भावना की अपेक्षा की जाती है। वहां भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों में उतार–चढ़ाव पाया गया है परन्तु यह परिस्थिति सम्बन्धी उतार–चढ़ाव अचानक परिलक्षित नहीं हुआ अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। समाज में जैसे–जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गये। वैसे–वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये। जब व्यक्ति की भूमिकायें अनेक हो जाती हैं तो उन भूमिकाओं में कभी–कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है। व्यक्ति अपनी सभी भूमिकाओं को पूर्ण और यथोचित निर्वाह नहीं कर पाता। जिन महिलाओं को घर के भीतर और बाहर रहना पड़ता है अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण पालन नही कर पाती है। ग्रामीण समाज की शिक्षित लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल पाता, जो मिलता भी है उसकी मांग इतनी अधिक होती है कि लड़की के पिता उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वैवाहिक समस्या एक ज्वलंत समस्या है। आज की शिक्षित महिलायें जिसका शिकार हैं। इससे बड़ी कोई विडम्बना नही हो सकती कि पुरूष समाज ने समाज की इस आधी दुनिया की अत्याचारों की क्रूर जंजीरों में जकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उसको कुचलने, मसलने और उसके उपभोग से भिन्न–भिन्न अस्तित्व को स्वीकारने के संदर्भ में पुरूषों को सदैव दोहरा मानदंड रहा है।

सन्दर्भ :

1. मुखर्जी, मीनाक्षी, 1884, रियलिटी एण्ड रियलिज्म इंडियन वूमन ऐज प्रोटेगनिस्ट्स इन फोर नाइटीय सेंचुरी नॉवेल्स, इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
2. आहूजा, राम, 2002, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
3. केलकर, गोविन्द, 1881, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आन वीमेन्स वर्क पार्टीसिपेशन एण्ड सैक्स, सेन्टर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली,
4. कृष्णराज, मैत्रेयी, 1971, रिपोर्ट आन वर्किंग वीमेन साइंटिस्ट्स इन बाम्बे, एस0एन0डी0टी0वीमेन यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिट आन वीमने स्टडीज, बम्बई
5. माथुर, दीपा, 1992, वूमेन, फैमिली एण्ड वर्क, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
6. श्रीवास्तव, सुधीर, 1985, वूमेन, इमपावरमेंट, टाटा मैग्रोहिल प्रकाशन, नई दिल्ली
7. व्यास, मीनाक्षी, 2002, मिडिल एण्ड लोअर क्लास वर्किंग वूमेन, सौम्या पब्लिकेशन, मुम्बई
8. सिंह, सोरन, 1997, सिडियूल कास्ट इन इण्डिया एण्ड डाईमेन्शन ऑफ सोशल चेंज, ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
9. कुमार, नृपेन्द्र, 1982, पार्टीसीपेशम ऑफ वूमेन इन सोसाइटी, एशिया पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई
10. कपूर, प्रतिमा, 1986, द स्टडी आफ एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग वूमेन इन इंडिया, आगरा पब्लिकेशन
11. अलटेकर, ए0एल0, द पोजिशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी